



मध्यप्रदेश राजाण्ड्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मई 2015—वैशाख 16, शक 1937

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस (1).—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रवेश नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(4) प्रवेश की रीति.—राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यकरूप से प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा की गुणागुण सूची के आधार पर या अर्हकारी परीक्षा में अभ्यार्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई सूचियों के आधार पर या राज्य सरकार द्वारा यथाविनिश्चित दोनों ही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किसी अधिसूचित रीति के माध्यम से。”

No. F. 14-17-2007-XLII (1).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government hereby makes the following amendment in the Admission Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(4) **Manner of Admission.**—Through a notified method based on the merit lists of the Common Entrance Test conducted by an agency duly authorized by the State Government or Central Government or on the basis of lists prepared on the basis of marks obtained by candidates in qualifying examination or by adopting both the procedures as decided by the State Government.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.